(254)

संख्या–19/S/XVIII-(2)/12–1(20)/2007

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादूनः दिनांक ३० अप्रैल, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र तथा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र के संचालन एवं वेतन आदि के भुगतान हेतु प्रथम किस्त के स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र तथा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्रों के संचालन एवं कार्यालय के कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु कुल ₹ 20.00 लाख (₹ बीस लाख मात्र) की धनराशि के आहरण एवं व्यय की स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः–

1– आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय स्वीकृत मदों में ही किया जायेगा, धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। धनराशि का गलत उपयोग होने पर अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. का उत्तरदायित्व होगा।

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण व व्यय मासिक आधार पर किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि नहीं की जायेगी।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं मदवार व्यय विवरण उपलब्ध कराया जाय। यदि वर्षान्त पर कोई धनराशि अवशेष रहती है तो शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

4– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2013 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6– इस संबन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–07–आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र–आयोजनेत्तर–00–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2012 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव

D//DMMC &EOC GO

संख्या-१०९ (1) / XVIII-(2) / 12–1(20) / 2007 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– अपर सचिव / वित्त एवं व्यय अनुभाग।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
6– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
8– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9–वित्त अनुभाग–5
10–धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
11–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव